अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

211/2024/225

कैलाश बनाम हुकमीचन्द वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 3,4,6 सहित	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री कैलाश वगैरह उपस्थित — श्री दीपक पारीक 1,2,5 मय 7	
15.05.2025	कैलाश बनाम हुक्मीचंद वगैरह (2024/211) पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 एवं अपील पर दिनांक 06.05.2025 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2011(1) आर0आर0टी0 पेज 329, 2013 आर0बी0जे0 पेज 216, 2016(2) आर0आर0टी0 पेज 1354 (एस0सी0), 1988 आर0बी0जे0 पेज 435, 1999 आर0बी0जे0 पेज 414, 2010 आर0बी0जे0 पेज 78, 2009 आर0बी0जे0 पेज 78, 2023 आर0बी0जे0 पेज 241, 2004 आर0आर0डी0 पेज 117 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 बाबत निवेदन किया कि प्रार्थीगण निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है:– 1 प्रमाणित प्रतिलिपि नकल एफआईआर संख्या 0375 दिनांक 13.11.2024 थाना मौजमाबाद जिला जयपुर। 2 प्रमाणित प्रतिलिपि नकल आरोप पत्र दिनांक 07.12.2024 मय दस्तावेजात, 03 प्रमाणित प्रतिलिपि नकल आदेशिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जयपुर दिनांक 12.12.2024 प्रकरण संख्या 1314/2024 उनवान सरकार बनाम कैलाशचन्द वगैरह। न्याय के हित में उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये बिना न्यायोचित निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह दस्तावेज न्यायालय का निर्णय है जिस पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थीगण यह दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है इसलिए उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण को अपूर्तनिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं हो सकेगी। उपरोक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने से प्रकरण में निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी और प्रार्थीगण को उचित न्याय प्राप्त हो सकेगा। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 05 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 पर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा नही होते है क्योंकि उक्त दस्तावेजात राजस्व दस्तावेजात नहीं है तथा प्रकरण में किसी भी प्रकार से न्यायिक निर्णयन में सहायक नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 खारिज किये जावें। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व दस्तावेज नहीं है उक्त दस्तावेजात फौजदायरी प्रकरण से सबंधित है तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं होते है अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 जा0दी0 सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि दिनांक 29.07.2024 अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान	

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

निरन्तर...

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाशचन्द बनाम हुकमीचन्द वगैरह

211/2024/225

काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर अपीलांटस को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक जारी की गई। तत्पश्चात दिनांक 10.09.2024 को उभयपक्ष को सुना जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को अपना निर्माणाधीन मकान बनाने तक स्थगन आदेश हटाये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

668
श्री वैभव कृष्ण पारीक एड
ने अपील पत्र
की / अपील बाद
जाँच रिपोर्ट
होकर पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
17/9/24

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील टीनेन्सी एक्ट संख्या 211 / 2024 जिला– दूदू

2024/211

कैलाश चन्द पुत्र स्व. मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी गोपालपुरा पटवार हल्का उग्ररियावास तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर (हाल दूदू)।

........अपीलान्ट

बनाम

1. हुकमीचन्द पुत्र स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)
2. नेमीचन्द पुत्र स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)
3. केशवचन्द पुत्र स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)
4. पूरणमल पुत्र स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)
5. मदनलाल पुत्र स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)
6. गेन्दी देवी पत्नी स्व0 मगनलाल जाति कुम्हार (कुमावत)

उपरोक्त समस्त निवासीगण गोपालपुरा पटवार हल्का उग्ररियावास तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर (हाल दूदू)।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माजमाबाद जिला जयपुर (हाल दूदू)।

...........रेस्पोडेन्ट्स

अपील

2024/211
17/9/24

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मोजमाबाद जिला दूदू, दिनांक 10.09.2024 जो मुकदमा संख्या 99/2024 उनवान कैलाश चन्द बनाम हुकमीचन्द में पारित किया गया।

मान्यवर,

मुकदमे के संक्षेप में तथ्य निम्नलिखित हैं :–

Vaibhav Pareek
Adv

Scanned with CamScanner